प्रेस विज्ञप्ति
12.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने 10.09.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स हाइथ्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और इसकी समूह कंपनियों और संबंधित प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु और चेन्नई में 11 आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में तलाशी और सर्वेक्षण अभियान चलाया है।

ये तलाशी और सर्वेक्षण पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी संस्था एचपीसीएल और उसके निदेशकों अमूल गबरानी और अजय कुमार बिश्नोई द्वारा सार्वजनिक धन की हेराफेरी और उसे अपनी संबंधित संस्थाओं और एचपीसीएल की संबंधित संस्थाओं में स्थानांतरित करने के संबंध में किए गए थे, जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता बैंकों द्वारा वर्ष 2009 से 2015 के दौरान घोषित धोखाधड़ी की लागत 346.08 करोड़ रुपये थी।

ईडी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर आरोपियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के अपराध करने के लिए जांच शुरू की, जिससे उन्हें गलत तरीके से लाभ हुआ।

ईडी की जाँच के दौरान पता चला है कि मेसर्स एचपीसीएल ने अपने प्रमोटरों/निदेशकों के माध्यम से एक बहु-बैंकिंग व्यवस्था के तहत पंजाब नेशनल बैंक से कुल 168 करोड़ रुपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 56 करोड़ रुपये, आईसीआईसीआई बैंक से 78 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक से 44 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएँ प्राप्त कीं। कई पुनर्गठनों के बावजूद, जिसमें बैंक गारंटियों को वित्त पोषित ब्याज अवधि ऋणों में परिवर्तित करना शामिल है, एचपीसीएल ने भुगतान में चूक की और इसे एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया, और बाद में आरबीआई को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किया गया। कथित धोखाधड़ी से संबंधित बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है, जिससे कॉर्पोरेट ऋण देने की प्रथाओं में विश्वास कम हुआ है। एनसीएलटी के आदेश के माध्यम से, एचपीसीएल की परिसमापन कार्यवाही शुरू की गई और वह आज तक लंबित है।

तलाशी और सर्वेक्षण की कार्यवाही के दौरान, विभिन्न डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज़ जैसे कि परिसंपत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट, कंपनी की कुल प्राप्य राशि का विवरण (देनदारों की सूची), ऋण अग्रिम विवरण, कंपनी में धारित संपत्तियाँ, दायर किए गए दावे, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, मिलान डेटा, कानूनी रिकॉर्ड, निवेशकों का विवरण और मेसर्स एचपीसीएल और उसके समूह/सहयोगी प्रतिष्ठानों, अर्थात् मेसर्स जीईटी पावर लिमिटेड, मेसर्स टेकप्रो सिस्टम्स लिमिटेड से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बरामद और जब्त किए गए। तलाशी की कार्यवाही के दौरान, प्रमोटरों और संबंधित व्यक्तियों के 55 लाख रुपये से अधिक के क्रेडिट बैलेंस वाले कई बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए।

आगे की जाँच जारी है।